भा. कृ. अनु. प. – केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान
ICAR - Central Sheep and Wool Research Institute
Avikanagar, Malpura, Rajasthan - 304501
Tel. Nos. +91-1437-220162 / 220 164 FAX: +91-1437-220163
Email: director.cswri@icar.gov.in, cao.cswri@icar.gov.in Web site: www.cswri.res.in

F.No.6(310)SP/20023/ **Dated 23-08-2023**

NOTICE INVITING TENDER THROUGH E-PROCUREMENT

Online Bids are invited from the interested firms under two bid system for Contract for Repair and maintenance of Sewerage line work at **ICAR-CENTRAL SHEEP & WOOL RESEARCH INSTITUTE, AVIKANAGAR, MALPURA, DISTT. TONK, RAJASTHAN, PIN 304501.** Manual bids shall not be entertained.

Tender documents may be downloaded from e-Procurement website of CPP https://eprocure.gov.in/ and www.cswri.res.in as per the schedule as give in CRITICAL DATE SHEET as under:

CRITICAL DATE SHEET

Tender No.	6(310)SP/2023/
Date and Time for issue/Publishing	23-08-2023 at 3.00 PM
Document Download/Sale start date and time	24-08-2023 at 3.00 PM
Bid Submission Start Date and Time	24-08-2023 at 3.00 PM
Bid Submission End Date and Time	12-08-2023 at 3.00 PM
Date and Time for Opening of Bids	13-08-2023 at 3.00 PM
Tender fee and Earnest money Security money	Tender fee – Rs.1000/- Earnest money – Rs.10,000/- Security money – 10 % of contract amount
Bank detail	ICAR UNIT -CSWRI ,Avikanagar payable State Bank of India Branch – Malpura Tonk Rajasthan
Address for Communication	Asstt. Administrative Officer (Store & purchase), C.S.W.R.I., Avikanagar,Malpura, Distt. Tonk, Rajasthan Pin- 304501

Asstt. Administrative Officer

Chapter I- Instruction to bidders

1- The tender form/bidder documents may be downloaded from website: https://eprocure.gov.in. Online submission of Bids through Central Public Procurement Portal (https://eprocure.gov.in) is mandatory. **Manual/Offline bids shall not be accepted under any circumstances.**

2- Tenders/bidders are requested to visit website https://eprocure.gov.in regularly. Any changes/modifications in tender enquiry will be intimated by corrigendum through this website only.

3- In case, any holiday is declared by the Government on the day of opening, the tenders will be opened on the next working day at the same time. The Institute reserves the right to accept or reject any or all the tenders. The complete bidding process in online. Bidders should be possession of valid digital Signature Certificate (DSC) of class II or III for online submission of bids. Prior to bidding DSC need to be registered on the website mentioned above. For any assistance for e-bidding process, if required bidder may contact to the helpdesk at 01437-220177.

4- Tenderer/Contractor/Bidders are advised to follow the instructions provided in the 'Instructions tothe Contractors/Tenderer/Bidders for the e-submission of the bids online through the CentralPublic Procurement Portal for e-procurement at https://eprocure.gov.in/eprocure/app**.**

5- Bid documents may be scanned with 100 dpi with black and white option which helps in reducing sizeof the scanned document.

6- The interested Firms are required to deposit (in original) **Tender Fee of Rs.1000/-** (Non-refundable) in the shape of Demand Draft/NEFT/RTGS prepared in favour of **ICAR UNIT -CSWRI ,Avikanagar payable at SBI, MALPURA may be addressed to the Assistant Administrative Officer, C.S.W.R.I., Avikanagar, Malpura, Distt. Tonk, Rajasthan Pin- 304501** on or before bid opening date and time as mentioned in the Critical Date Sheet.

7- The interested Firms are required to deposit (in original) and Earnest Money Deposit (EMD) of the amount mentioned against item in the form of Demand Draft/FDR from any of the Nationalised Bank **in favour of ICAR UNIT -CSWRI, Avikanagar payable at SBI, MALPURA** may be addressed to the Assistant Administrative Officer, C.S.W.R.I., Avikanagar,Malpura, Distt. Tonk, Rajasthan Pin- 304501 on or before bid opening date and time as mentioned in the Critical Date Sheet.

8- The Hard Copy of original document in respect of cost of tender document etc. must be delivered to the ICAR-CSWRI, Avikanagar on or before last date/time of Bid Submission as mentioned above. The bid without tender fee will be summarily rejected.

9- The firm should send the Original brochures of the product and may be addressed to the Assistant **Administrative Officer, CSWRI, Avikanagar, Malpura, Distt. Tonk, Rajasthan Pin- 304501 on or before bid opening date and time as mentioned in the Critical Date Sheet.**

10- Bidders need not be come at the time of Technical as well as financial bid opening at ICAR-CSWRI, Avikanagar. They can view live bid opening after login on CPP e-Procurement Portal at their remote and, If bidder wants to join bid opening event at ICAR-CSWRI, Avikanagar then they have to come with bid acknowledge slip that generates after successfully submission of online bid.

11. **Technical Bid**: The following scanned documents are to be furnished by the bidders along with Technical Bid as per the tender document:

1. Scanned copy of Firm Registration certificate
2. Scaned copy of Last one year continuous experience or more of the firm in the relevant field of providing such services in Central Govt. establishments/Autonomous bodies of Govt. of India/ Corporations of Govt. of India/reputed public or private organizations.
3. Scanned copy of Pan card
4. Scanned copy of GST Certificate. In case, if contractor is not eligible for GST ,a certificate is required showing his turnover less than Rs.20 lakhs of his claim is to be sustained by documentary evidence like ITR (Income Tax Reurn),balance sheet, profit & Loss Statement etc.
5. Scanned copy of ESI and EPF Registration
6. Scanned copy of Tender fees and EMD for through D.D./NEFT/RTGS acnolegment slip and transaction slip
7. Scanned copy of Acceptance letter(as per Annexure-II)
8. Scanned copy non blacklisting certificate (as per Annexure-I)

All necessary documents in support of the details for S.No. 1 to 8 must accompany the technical bid. The bid is liable to be rejected in case documents are not uploaded in the technical bid on CPP Portal, documents are incomplete or in case any certification/registration has already expired but is yet to be renewed. Only essential and necessary valid documents are to be uploaded in the technical bid. Please avoid uploading extraneous and irrelevant documents which unnecessary cause confusion.

Assistant Administrative Officer

Chapter II- Scope of Work

क्र. सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित कार्य की मात्रा	दर प्रति माह (अंको व शब्दों में)
1.	संस्थान के आवासीय व गैर आवासीय भवनों, विभिन्न प्रक्षेत्रों व सेक्टरों में सीवरेज से संबंधित मरम्मत एवं सीवर लाईन के ब्लॉकेज की सफाई करना, मेन होलो Inspection Chamber डब्ल्यू सी व गलीट्रेपके ब्लॉकेज तुरन्त साफ करने होगें। व मरम्मत करना साथ ही प्रति माह ईन्जन चलाकर सभी मुख्य सीवर टेंको का पानी खाली करना, संस्थान में किसी भी सीवर टेंक के ढक्कन ना होने टूटे होने पर सूचना देकर उपलब्ध होने पर लगाने व सीवर लाईन से संबंधित अन्य सभी शिकायतों का दिन–प्रतिदिन निराकरण करने का कार्य	एक वर्ष	

संस्थान के सीवरेज से संबंधित कार्य को जॉब कौन्ट्रक्ट के आधार पर वार्षिक अनुबंध के आधार पर सम्पन्न करने बाबत ।

नियम एवं शर्ते –

1. निविदा में प्राप्त न्यूनतम एवं उचित दरें ही स्वीकार्य की जा जायेगी ।
2. अनुबंध की अवधि कार्य आदेश जारी होने की तिथी से एक वर्ष के लिए होगी । जिससे संतोषप्रद कार्य होने पर सक्षम अधिकारी चाहे तो कम या अनुबंधकर्ता की आपसी सहमति से वर्तमान दर एवं नियम व शर्तो पर एक वर्ष या अधिक अवधि तक बढाया जा सकता है ।
3. संस्थान में आवासीय व गैर आवासीय भवनों तथा विभिन्न प्रक्षेत्रों में सीवरेज से संबंधित मरम्मत कार्य करना एवं सीवर लाईन के ब्लॉकेज की सफाई करना, डब्ल्यू सी आदि गली ट्रेप आदि की ब्लॉकेज की सफाई करना एवं मरम्मत करना साथ ही प्रति माह ईन्जन चलाकर सभी मुख्य सीवर टेंको का पानी खाली करना व इससे संबंधित अन्य सभी शिकायतों का दिन–प्रतिदिन निराकरण करना होगा।

4. अनुबंधकर्ता को स्वंय अथवा उसके द्वारा लगाए प्रतिनिधि को प्रतिदिन उपस्थित रहना होगा एवं सीवरेज संबंधित शिकायत निवारण पश्चात उसको अथवा प्रतिनिधि को कार्यालय समय में सम्पदा अनुभाग से संबंधित अन्य कार्यो में सहयोग करना होगा।
5. ठेकेदार/प्रतिनिधि द्वारा कार्य में किसी भी प्रकार में शिथिलता/गैर जिम्मेदारी/अवज्ञा की गई तो ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले बिल मे से राशि की कटौती की जावेगी साथ ही अनुबन्ध को निरस्त करते हुये अमानत/जमानत राशि जब्त की जा सकती है।
6. ठेकेदार/प्रतिनिधि द्वारा अनुबन्ध की अवधि में संस्थान में किसी प्रकार की चोरी/क्षति पहुँचाई जाती है तो उसकी वसूली स्वयं ठेकेदार को नकद करनी होगी अन्यथा उनके देय बिल से काट ली जावेगी और अनुबन्ध निरस्त कर अमानत व जमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।इस सम्बंध में संस्थान के निदेशक महोदय का निर्णय ही अन्तिम होगा एवं ठेकेदार को मान्य होगा।
7. कार्य निर्देशानसुार समय पर पूर्ण नही होने की दशा में ठेकेदार की जमा जमानत राशि को जब्त करते हुए अनुबंध को निरस्त कर दिया जायेगा ,जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी ।
8. ठेकेदर एवं उसके प्रतिनिधि को संस्थान के अधिकारी/कर्मचारियो के साथ शिष्टता का व्यवहार रखना होगा अन्यथा ठेका समयावधि से पूर्व भी समाप्त/निरस्त किया जा सकता है।
9. सीवरेज सें संबंधित कार्य हेतु प्रतिदिन आवश्यकता अनुसार सीवरेज संबंधित सम्पूर्ण कार्यो के अनुभवी कर्मी उपलब्ध कराने होंगे । कर्मियों की संख्या कार्यो के दैनिक निस्पादन प्रभारी, सम्पदा द्वारा बताए गए निर्धारित समय पर पूर्ण करने की दृष्टि से है । इसके अलावा कार्य की अधिकता के समय मांग के अनुरूप अतिरिक्त कर्मी उपलब्ध करवाया जाना होगा । अतिरिक्त कर्मियों की मांग एक दिन पहले सूचित कर दिया जावेगा ।
10. शिकायत पंजिका में दर्ज शिकायतो का निराकरण प्रतिदिन करना होगा। आवश्यक सेवाओं से संबंधित शिकायत को तुरन्त ही निराकरण करना होगा । जैसे – गटर चौक होना, नाली चौक होना,एंव अन्य समस्त सीवर लाईन सम्बन्धित कार्य। शिकायत निराकरण समय पर न होने की स्थिति में महिने के भुगतान की प्रतिदिन के औसत राशि की दुगुनी राशि की दर से कटौती की जावेगी। संस्थान पक्ष से किसी कारणवश शिकायत निवारण की देरी की स्थिति में यह कटौती नहीं की जावेगी।
11. शिकायत निवारण में ठेकेदार द्वारा कार्मिकों का प्रबन्ध समय पर नही कराने की स्थिति में उक्त कार्य के निस्पादन में लगाये गये कार्मिकों की मजदूरी का भुगतान ठेकेदार को करना होगा। यदि उक्त कार्य संस्थान के कर्मचारी/मजदूर द्वारा करवाया जाता है तो उसके उस दिन के वेतन के बराबर की राशि ठेकेदार के बिल से कटौती की जावेगी। इसको अवज्ञा के रूप में मानकर सक्षम अधिकारी द्वारा उचित कार्यवाही की जा सकती है जिसमें पेनल्टी एवं अनुबन्ध समाप्त भी किया जा सकता है।
12. संबंधित अनुबन्ध की शिकायतों की जानकारी संस्थान के सम्पदा अनुभाग की शिकायत पंजिका से रोजाना प्राप्त करना होगा। साथ ही शिकायत निराकरण की रिपोर्ट डायरी में मय शिकायतकर्ता से हस्ताक्षरित प्रभारी सम्पदा/प्रतिनिधि को देनी होगी।
13. कार्य अनुबंध से संबंधित कार्य शिकायतों में लगने वाला सामान सम्पदा अनुभाग से उपलब्ध करवाया जावेगा, जो कि सम्पदा अनुभाग के स्टोर से लेना होगा। साथ ही हटाया जाने वाला पुराना सामान वापस जमा करवाना होगा। शिकायत निराकरण में काम में आने वाले सभी औजार स्वंय ठेकेदार के होंगे। संस्थान द्वारा कोई औजार उपलब्ध नहीं करवाया जायेगा।

14. अनुबन्धकर्ता/अधिकृत प्रतिनिधि को नियमित रूप से रोजाना निदेशक महोदय द्वारा नामित अधिकारी या प्रभारी सम्पदा/प्रतिनिधि से सम्पर्क करना होगा। उनके दिशा–निर्देश अनुसार कार्य करना होगा। अनुबन्ध के अलावा आवश्यकता अनुसार समानान्तर कार्यो में सहायता संबंधित कार्य भी प्रभारी, सम्पदा की देख–रेख में करना होगा। शर्तो के पालन में शिथिलता की स्थिति में अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है।
15. ठेकेदार/कार्मिकों द्वारा किसी प्रकार की संस्थान सम्पत्ति के नुकसान की भरपाई ठेकेदार को करनी होगी। अन्यथा ठेकेदार के बिल से नुकासान राशि की कटौति की जावेगी। अनुबन्ध की अवधि में कार्मिक को हटाने/बदलने की स्थिति में इसकी सम्पूर्ण जानकारी प्रभारी सम्पदा को देनी होगी ।
16. अनुबन्ध कार्य में लगने वाले श्रमिको की आयु 18 वर्ष से कम तथा 60 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए। वे पूर्णरूपेण स्वस्थ होने चाहिये ।
17. सफल ठेकेदार स्वंय की देखरेख में अनुबन्ध का कार्य करने के लिये कार्य आदेश प्राप्त करने से पूर्व लिखित में वचन (under taking) देना होगा की वे स्वंय प्रत्येक सप्ताह में एक बार प्रभारी, सम्पदा अनुभाग से सम्पर्क करेगें तथा अनुबन्ध का कार्य प्रभारी के दिशा–निर्देशानुसार सुचारू–रूप से करते रहेगें ऐसा नहीं होने पर ठेका निरस्त किया जा सकता है साथ ही उनके द्वारा जमा करवाई जाने वाली अमानत/जमानत राशि को भी जब्त किया जा सकता हैं।
18. अनुबन्ध की अवधि के दौरान ठेकेदार एवं उनके प्रतिनिधियों द्वारा संस्थान के कर्मचारियों/अधिकारियों के साथ शिष्टता का व्यवहार करना होगा।
19. श्रमिकों के बारे में निर्धारित रजिस्टर/मस्टरोल आदि का रख–रखाव स्वयं ठेकेदार को करना होगा तथा लगाये गये श्रमिकों का EPF/ESIइत्यादि यदि नियमानुसार देय होता है तो ठेकेदार द्वारा स्वयं के देय बिल राशि से देना होगा। संस्थान द्वारा इस विषय में कोई भी अलग से भुगतान का दावा स्वीकार नही करेगा। इस प्रकार का निस्तारण ठेकेदार स्वयं अपने स्तर पर करेगा। इसका रजिस्टर कभी भी संस्थान के अधिकृत अधिकारी द्वारा भारत सरकार की नियमों की पालना के दृष्टिकोण से जॉचा जा सकता है।
20. प्रोक्यूरमेन्ट नियमावली के अनुसार 25% मात्रा की भिन्नता का नियम लागू होगा।
21. संबंधित वित्तीय वर्ष में या समय–समय पर होने वाले संशोधन के अनुसार ठेकेदार के देय मासिक बिल में से नियमानुसार जी.एस.टी. /आयकर (G.S.T. /Income Tax) एवं उस पर लगने वाले सरचार्जेज राशि की भी कटौती की जावेगी।
22. ठेकेदार को अनुबन्ध की अवधि में भारत/राज्य सरकार के प्रचलित श्रमिक कानूनों का पालन करना होगा। भारत सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत समय–2 पर निर्धारित दर से भुगतान करना होगा। श्रमिक को भुगतान करने की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी। समय पर भुगतान न करने संबंधित किसी प्रकार के वाद/क्लेम की स्थिति में न्यायालय द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार वित्तीय भुगतान/श्रतिपुर्ति का उत्तरदायित्व स्वयं ठेकेदार का होगा। श्रमिकों के भुगतान के संबंध में पूरा रिकार्ड/अभिलेख स्वंय ठेकेदार को रखना होगा। श्रमिकों/पारिश्रमिकों का भुगतान भारत/राज्य सरकार की निर्धारित दर के अनुरूप ही करना होगा ।
23. समय–समय पर भारत/राज्य सरकार के लागू नियमों का पालन करना होगा।साथ ही बाल श्रमिक कानून का पूर्ण पालन करना होगा।
24. अनुबंध कार्य का भुगतान मासिक बिल बेसिस पर किया जायेगा। कार्य का बिल तीन प्रतियों में सम्पदा अनुभाग को प्रस्तुत करना होगा, जिससे लगाये गये श्रमिकों एवं शिकायतों को प्रमाणित किया जा सके।
25. ठेकेदार द्वारा जिन प्रतिनिधियों को अनुबन्ध कार्य हेतु नियुक्त किया जावेगा उनका परिचय–पत्र ठेकेदार द्वारा स्वयं बनाकर फोटो युक्त परिचय–पत्र अधिकृत अधिकारी (सुरक्षा अनुभाग) से जारी करवाकर प्रभारी, सम्पदा अनुभाग में प्रस्तुत करना होगा। परिचय–पत्र का व्यय स्वयं ठेकेदार को वहन करना होगा। प्रतिनिधियों को फोटो (पहचान–पत्र) आवश्यक होगा। साथ ही प्रतिनिधियों का नाम, पता व मोबाईल नम्बर इत्यादि प्रभारी को उपलब्ध कराना होगा।
26. अनुबन्ध कार्य के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाने पर ठेकेदार/उनके प्रतिनिधि स्वयं जिम्मेदार होगें तथा सभी प्रकार की कानूनी कार्यवाही अपने स्तर पर स्वयं के खर्चे पर करनी होगी। तथा संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता/क्षतिपूर्ति राशि नही दी जावेगी। अतः अनुबन्धकर्ता अनुबन्ध मिलने के साथ ही उसके अधीन कार्य करने वाले सभी कार्मिकों का बीमा अवश्य करवा लें।
27. आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि अनुबन्ध कार्य सन्तोषजनक पूरा होने के उपरान्त 03 माह बाद वापिस देय होगी। यदि अनुबन्ध के दौरान कार्य किसी भी प्रकार से असन्तोषजनक पाये जाने की स्थिति में आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि को जब्त कर लिया जावेगा। अथवा किसी प्रकार के नुकसान या व्यवधान की स्थिति में अनुबन्ध समय अवधि से पहले भी अनुबन्ध समाप्त किया जा सकता है।
28. श्रमिक नियमों के अनुसार समस्त अभिलेख ठेकेदार को तैयार कराना होगा तथा किसी भी अधिकारी द्वारा माँगने पर प्रस्तुत करना होगा।
29. सभी विवादों को निपटाने का क्षेत्राधिकार अविकानगर, मालपुरा होगा। किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में अन्तिम निर्णय देने का अधिकार निदेशक, केन्द्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर, तहसील मालपुरा, जिला टोंक, राजस्थान को होगा। जिसे ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी/कम्पनी द्वारा मान्य होगा।
30. यह कार्य केवल अनुबन्ध की प्रकृति (जॉब कोन्ट्रेक्ट के आधार पर) के लिये ही माना जावेगा। ठेके की अवधि व उसके उपरान्त ठेकेदार अथवा उसके प्रतिनिधि का जॉब कान्ट्रेक्ट कार्य के अतिरिक्त संस्थान से कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा।
31. इस अनुबंध में G.F.R.,2017 (Mannual forProcurement of Goods and Services)में उपलब्ध नियम एवं भारत सरकार के इस अनुबंध से संबंधित नियम भी लागू होगें ।
32. सफल अनुबंधकर्ता को 500/– मा; नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर कार्य को अनुबंध पर करने के लिए एग्रीमैन्ट देना होगा। जिसका प्रारूप क्रय अनुभाग से प्राप्त करना होगा।
33. संस्थान के सक्षम अधिकारी महोदय को बिना कोई कारण बताये किसी भी एक/सभी निविदाओं को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है ।
34. यह सूचना इस संस्थान की वेबसाईट www.cswri.res.in & E-procure.gov.in पर उपलब्ध है ।

Chapter III- General Terms & Conditions

1. Tenderers are advised to go through all the points mentioned in the terms and conditions of tender carefully before submitting the tender document. Incomplete/unsigned/conditional tenders will be summarily rejected and no correspondence will be entertained in this regard.
2. Before submission of the tender, the tenderer/contractor may inspect/visit the farm area site and get acquainted himself with reference to conditions and to nature of work required to be performed/executed at this Institute to avoid any ambiguity or confusion.
3. The contract will be awarded to the Loastquotee based on the rates quoted by the firm. In case, the institute finds that the rates quoted by the tenderer is not sufficient to cover the cost of engaging minimum number of personnel at minimum wages along with other statutory requirement as specified by Govt. of India for Agricultural Sector the institute will reject such tenders. In case of two or more tenders quote same rates the tenderer having experience in relevant work will be given preference.
4. The Director ICAR-CSWRI, Avikanagar reserves the right to accept or reject any tender without assigning any reason.
5. If successful tenderer does not accept the offer within 15 days, after issuance letter of award the offer will stand withdrawn & earnest money will be forfeited, and no correspondence will be entertained in this regard.
6. The successful firm will have to sign an agreement (format will be provided by the institute with offer) on non-judicial stamp paper of appropriate value not less than **Rs. 500/-** along with the **Security Deposit @10% of contract value in** form of Account Payee Demand Draft/banker's Cheque or FDR/TDR in favour of **ICAR Unit CSWRI, Avikanagar**within 15 days after issue of letter of award. It is clarified that no interest on security deposit shall be payable and security deposit money will be refundable only after the expiry/ termination of the contract period and adjusting the dues and /or forfeiture if any.
7. The contract will be awarded initially for a period of one year and thereafter will be extendable up to one more year, subject to the satisfactory performance, on the same terms & conditions.
8. The firm will be disqualified and black listed and security deposit forfeited, if it is found that they sublet the contract, wholly or partially, during the period of the contract. A register for complaint /surprise/routine checks shall be maintained by the contractor which may also be inspected by authority of institute.
9. All the deployed workers must be in sound health, between 18-60 years of age. The firm should submit police verification/ fitness certificate for each deployed worker and issue them an identity card as well as appropriate uniform at the cost of contractor.
10. It will be the responsibility of the firm to look after the health and welfare of the personnel deployed as per the statutory requirements and rules. Such records would be maintained in registers and should be produced as and when demanded by the Institute.
11. The contractor shall maintain a register of complaint/work and duties performed which shall be verified by the institute.
12. ***PENALTY CLAUSE: LIQUIDATED DAMAGES CLAUSE***: Any loss/damage occurred by the Firm/Contractor to the Institute property during the transaction/currency of the contract, the clause liquidated damages for **Rs.500/-** per day shall be imposed, if the Firm fails to replace/rectify the damage/loss within a week. In case of any of the above contingencies, the First Party shall have the right to terminate this agreement forthwith without notice and recover aforesaid amount for security deposit and shall not be liable to any damages and/ or loss, which may be suffered by the agency onaccount of termination of this agreement. The same shall be without any financial implication on part of the First Party. The decision of the Director, ICAR-CSWRI, Avikanagar will be final and binding in this regard.
13. If the contractor does not discharge his duties up to the satisfaction of I/c Farm Section the contract will be terminated before expiry period and the security money will be forfeited.
14. In case any problem arises on account of non-compliance of any statutory Law, the sole responsibility will be on the concerned firm. The Institute will not be responsible for any liability in this regard.

15. If any loss is incurred to the institute due to negligence or malafied intentions of the firm or any of its employees, the firm will make good the losses incurred to institute. The decision of the Director, ICAR-CSWRI, Avikanagar will be final and binding in this regard.
16. The firm must abide by all the Labour Laws in vogue for which the responsibility will solely be lying on the concerned firm. The payment to labourers engaged by the firm must be as per minimum wages prescribed by the Govt. of India for Agricultural Sector through the bank transfer, on or before 10th day of following month. The details of the payment are to be submitted to the office for processing the bill.
17. The labourers engaged by the firm will have no claim for any regular employment in the Institute/ICAR at any point of time, as this arrangement is purely on the contractual basis between the Institute and the firm.
18. In case of any accident/loss of life of the worker during discharging duties, all the liabilities/ compensation shall be borne by the firm and ICAR-CSWRI, Avikanagar shall not have responsibility in this regard.
19. The firm must submit proof of depositing the EPF and ESIC contributions along with the name and account numbers of the deployed labour and Challan of the deposited GST for the billing period (if applicable).
20. The bill in triplicate for work carried out in billing period is to be submitted in the Office for claiming the monthly payment through a Coordinator appointed by the Institute. No part payment request would be entertained.
21. The Director ICAR-CSWRI, Avikanagar reserve the right to review the performance whenever felt necessary also to terminate the contract at any point of time during the tenure of contract in case the performance and service rendered by firm are found to be unsatisfactory, without giving any prior notice. The decision of Director, ICAR-CSWRI, Avikanagar shall be final and binding on the contractor.
22. Contract can also be terminated at any point of time if the above mentioned work is no more required. Contract cannot be terminated by contractor firm before expiry of the contract period. **Violation would invite forfeiture of security deposit.**
23. In the case of any dispute between the institute and the firm, the Director, ICAR-CSWRI, Avikanagar will appoint an arbitrator within one month of the dispute, whose decision will be binding on both the parties; the legal jurisdiction will be Malpura only.
24. The TDS will be deducted as per Income tax extant rules.
25. The contractor or its worker shall not misuse the premises allotted to them for any purpose other than for which contract is awarded.
26. The contractor/ his authorized representative shall report immediately whenever called by HOD/Incharge on receiving telephone message to attend any complaint.
27. The Contractor firm or its partners/Directors should not been declared insolvent any time. Further they are not declared defaulters / black listed by any Bank/ Financial Institute/ State oriented Govt. organization, Autonomous body etc.

Asstt. Administrative Officer (S&P)

Annexure –I

NON BLACKLISTING CERTIFICATE

[To be submitted on letterhead]

I/We hereby certify that the [Name of the company / firm] has not been ever blacklisted/ debarred by any Central / State Government / Public Undertaking / Institute on any account.

I/We also certify that firm will supply the item perform the duties as per the specification given by ICAR-CSWRI, Avikanagar and also abide all the terms and conditions stipulated in Contract.

I/We also certify that the information given in bid is true and correct in all aspects and in any case at a later date it is found that any details provided are false and incorrect, contract given to the concern firm or participation may be summarily terminated at any stage, the firm will be blacklisted and ICAR-CSWRI, Avikanagar may imposed any action as per NIT rules.

Date:
Place:

Name:
Business Address :
Signature of Bidder:
Seal of the Bidder:

Annexure -I I

भा.कृ.अ.प.–केन्द्रीय भेड एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर
तहसील–मालपुरा, जिला–टोंक, राजस्थान –304 501

क्रमांकः 6(310)एसपी / 2023 / 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　दिनांकः 23.08.2023

निविदा स्वीकारोक्ति पत्र (Tender Acceptance letter)

संस्थान के आवासीय व गैर आवासीय भवनों, विभिन्न प्रक्षेत्रों व सेक्टरों में सीवरेज से संबंधित मरम्मत एवं सीवर लाईन की साफ–सफाई से सम्बन्धित कार्य का वार्षिक अनुबन्ध सम्पन्न करवाने से संबंधित कार्य का वार्षिक अनुबन्ध कार्य :–

क्र.सं.	विवरण	**दर प्रति माह (अंको व शब्दों में)**
1.	संस्थान के आवासीय व गैर आवासीय भवनों, विभिन्न प्रक्षेत्रों व सेक्टरों में सीवरेज से संबंधित मरम्मत एवं सीवर लाईन के ब्लॉकेज की सफाई करना, मेन होलो Inspection Chamber डब्ल्यू सी व गलीट्रेपके ब्लॉकेज तुरन्त साफ करने होगें। व मरम्मत करना साथ ही प्रति माह ईन्जन चलाकर सभी मुख्य सीवर टेंको का पानी खाली करना, संस्थान में किसी भी सीवर टेंक के ढक्कन ना होने टूटे होने पर सूचना देकर उपलब्ध होने पर लगाने व सीवर लाईन से संबंधित अन्य सभी शिकायतों का दिन–प्रतिदिन निराकरण करने का कार्य	

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैनें निविदा में दर्शायी गई सभी नियम व शर्ते भली–भाँति पढ़ली है तथा मुझे पूर्णरूप से स्वीकार है। मैं उपरोक्त दर्शायी गई दरों पर संस्थान के आवासीय व गैर आवासीय भवनों, विभिन्न प्रक्षेत्रों व सेक्टरों में सीवरेज से संबंधित मरम्मत एवं सीवर लाईन की साफ–सफाई से सम्बन्धित कार्य कार्य को वार्षिक अनुबन्ध / ठेके के आधार पर सम्पन्न करवाने के क्रम में अनुबंध / जॉब कोन्ट्रेक्ट पर करने के लिये सहमत हूँ। साथ ही मैं यह वचन देता हूँ कि मैं प्रभारी, सम्पदा अनुभाग या उनके प्रतिनिधि से समय–समय पर सम्पर्क करके उनके निर्देशानुसार अनुबन्ध कार्य करता रहूँगा। मैं अनुबन्ध कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करूँगा और संस्थान के अधिकारियों / कर्मचारियों से विनम्रता पूर्वक व्यवहार रखूँगा। यदि मेरे या प्रतिनिधियों द्वारा अनुबन्ध कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान / हस्तक्षेप करने / या उनके द्वारा बताये जाने वाले कार्य को करने के लिये मना आदि करता हूँ तो मेरे द्वारा जमा करवाई जाने वाली अमानत / जमानत राशि को जब्त करके अनुबन्ध को निरस्त किया जा सकता हैं जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी। साथ ही मैं यह भी वचन देता हूँ कि मुझें व मेरे प्रतिनिधि को उपरोक्त निविदा प्रपत्र में दर्शाये गये कार्यो का पूर्ण ज्ञान है।

मै यह भी वचन देता हूँ कि मैं भारत / राजस्थान सरकार के प्रचलित सभी श्रमिक नियमों का पूर्ण रूप से पालन करूँगा तथा मेरे द्वारा लगाये गये सभी प्रतिनिधियों की मजदूरी का भुगतान समय–समय पर निर्धारित दैनिक मजदूरी की दर से करूँगा।

यह मेरे / हमारे संज्ञान में भली–भाँति से है कि आपके द्वारा उपरोक्त कार्य हेतु प्राप्त निविदाओं में आप न्यूनतम अथवा किसी अन्य निविदाओं को स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं है एवं सक्षम अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय मुझे / हमें मान्य हैं। अनुबन्ध की अवधि समाप्त होने के उपरान्त मेरा व मेरे द्वारा लगाये गये प्रतिनिधियों का इस संस्थान से जॉब कोन्ट्रेक्ट के अलावा कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा और न ही मै किसी प्रकार का संस्थान के खिलाफ कोई कार्यवाही करूँगा।

दिनांक ————–

हस्ताक्षर ठेकेदार / फर्म प्रतिनिधि मय सील

पूरा पता

टेलीफोन / मोबाईल नं.

बैंक खाता नं.

भा.कृ.अ.प.–केन्द्रीय भेड एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर
तहसील–मालपुरा, जिला–टोंक, राजस्थान –304 501

क्रमांकः 6(310)एसपी / 2023 / दिनांकः 23.08.2023

<u>वित्तीय निविदा</u>

संस्थान के आवासीय व गैर आवासीय भवनों, विभिन्न प्रक्षेत्रों व सेक्टरों में सीवरेज से संबंधित मरम्मत एवं सीवर लाईन की साफ–सफाई से सम्बन्धित कार्य का वार्षिक अनुबन्ध सम्पन्न करवाने से संबंधित दरें निविदा के साथ संलग्न BUQ Sheet **में प्रस्तुत करे।**

क्र. सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित कार्य की मात्रा	दर प्रति माह (अंको व शब्दों में)
1.	संस्थान के आवासीय व गैर आवासीय भवनों, विभिन्न प्रक्षेत्रों व सेक्टरों में सीवरेज से संबंधित मरम्मत एवं सीवर लाईन के ब्लॉकेज की सफाई करना, मेन होलो Inspection Chamber डब्ल्यू सी व गलीट्रेपके ब्लॉकेज तुरन्त साफ करने होगें। व मरम्मत करना साथ ही प्रति माह ईन्जन चलाकर सभी मुख्य सीवर टेंको का पानी खाली करना, संस्थान में किसी भी सीवर टेंक के ढक्कन ना होने टूटे होने पर सूचना देकर उपलब्ध होने पर लगाने व सीवर लाईन से संबंधित अन्य सभी शिकायतों का दिन–प्रतिदिन निराकरण करने का कार्य	एक वर्ष	

दिनांक————————

हस्ताक्षर ठेकेदार / फर्म प्रतिनिधि मय सील
पूरा पता टेलीफोन / मोबाईल नं.